न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–97 / 2019

जीसीएमएस पोर्टल संख्या– 2019 / 00139

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रिछपालसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मांझी तहसील डेगाना जिला नागौर, राज0		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय **दिनांक–** 19/04/2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 17/19 राजस्थान सरकार बनाम रिछपालसिंह उ0मू0दु0 मांझी प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 25.09.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आदेश जैर अपील दिनांक 25.09.2019 की प्रमाणित प्रतियां अपीलान्ट को जानबूझ कर समय पर नहीं दी गई। अपीलान्ट को सही विधिक सलाह नहीं मिलने पर अपीलान्ट ने जोधपुर जाकर एस.बी.सिविल रिट रिछपालसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान तैयार करवाई, बाद में वहां के अधिवक्ता ने सलाह दी कि यहां रिट न होकर न्यायालय हाजा को अपील का क्षैत्राधिकार होने से अपील होगी व इसी दौरान अपीलान्ट गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से उनके ईलाज में व्यस्त होने व उनका बड़ा आपरेशन होने से अपीलान्ट तुरन्त नागौर नहीं आ सका व अपीलान्ट के पिता के स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर अपीलान्ट पुनः नागौर आकर नकलों का आवेदन किया व दिनांक 06.12.2019 को सांय तक प्रमाणित प्रतियां मिलने पर तुरन्त अधिवक्ता नियुक्त कर सलाह लेकर अपील तैयार करवाई व दिनांक 7 व 8.12.2019 को अवकाश होने से बिना किसी देरी के दिनांक 09.12.2019 को यह अपील पेश की जाने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया।
3. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों पर के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपने मयाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। इसलिए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई गई जाना उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलांट को उचित मूल्य दुकान, मांझी तहसील डेगाना जिला नागौर हेतु विधिवत प्राधिकार पत्र जारी किया हुवा था। अपीलांट नियमानुसार कार्य कर रहा था इसी दौरान कथित उपभोक्ता पक्ष ने दिनांक 28.02.2019 को अपीलांट के विरूद्ध शिकायत मिलना बताकर निरीक्षण करना व मौके पर दुकान बंद मिलने व बंद का कोई कारण नहीं होने व कथित पोश मशीन से निकलने वाली पर्ची उपभोक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 16:30:17 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

को नहीं देने व गणपतलाल जोधपुर निवासी का राशन कार्ड होने आदि के आक्षेप लगाकर प्रकरण दर्ज किया जाकर व अनियमितता पाई जाना बताकर दिनांक 01.03.2019 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तत्पश्चात् नोटिस मिलने पर अपीलांट उपस्थित होकर रसद अधिकारी को दिनांक 19.03.2019 को स्पष्टीकरण पेश कर निवेदन किया कि दुकान दिनांक 28.02.2019 को निरीक्षण में बंद होना बताया जबकि उस दिन सुबह 9.30 बजे दुकान खोली तथा सांय 7 बजे तक दुकान खुली थी व उसी दिन केरोसीन सप्लाई का टेंकर भी खाली करवाया गया उस दिन अपीलांट ने 130 किलो गेहूं तथा 10 लीटर केरोसीन का वितरण किया, ये सभी ट्रांजेक्शन ऑन लाईन होते है जिनकी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जवाब के साथ पेश की व निवेदन किया कि दुकान के सामने मूल्य व स्टॉक सूची का बोर्ड लगाया हुआ है जिसकी फोटो प्रति भी पेश की गयी, राशन वितरण के समय पॉश मशीन से पर्ची वितरण करता जिस संबंध में उपभोक्ताओं के बयान भी कलमबद्ध करवाये जाने का निवेदन किया, साथ ही नोटिस के आक्षेप संख्या 4 में राशन कार्ड संख्या 008333100819 राशन कार्ड धारक गणपतलाल को पोश मशीन संख्या 30074 के द्वारा राशन सामग्री वितरण किया तथा उक्त सामग्री उसे नहीं मिली हो ऐसा आक्षेप गलत है उक्त गणपत का राशन कार्ड पेश किया जो गांव मांझी का होना स्पष्ट किया जोधपुर का निवासी होना गलत अंकित किया गया, जिससे कार्यवाही हाजा ड्रोप करने का निवेदन किया, तत्पश्चात् दिनांक 13.08.2019 को भी रसद अधिकारी के नोटिस दिनांक 26.07.2019 का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि अप्रेल 2017 से फरवरी 2019 तक अपीलांट को केरोसीन प्राप्त हुआ 13870 लीटर प्राप्त होना बताया जिसमें वितरण 13261.6 लीटर करना बताया व इसके बाद अपीलांट के पास केरोसीन का स्टॉक 605.4 लीटर रहा जो अस्थाई डीलर को दिया गया व उक्त डिलर को देने बाबत प्राप्ति भी पेश की गयी व दिनांक 25.12.2017 को 4.5 लीटर मशीन नं. 22745 पोश मशीन का चार्ज दिया गया तथा निवेदन किया कि अपीलांट ने पोश मशीन नं. 22745 से केरोसीन का वितरण किया 6041.5 लीटर मशीन में शेष बचा केरोसीन 4.5 लीटर जो दिनांक 25.12.2017 को चार्ज के समय दे दिया इसलिए अपीलांट के पास 30074 पोश मशीन से केरोसीन का वितरण किया, 7219 लीटर वितरण किया, व अपीलांट के पास मशीन में बेचा केरोसीन 605.4 लीटर दिनांक 26.03.2019 को अस्थाई डिलर दुर्गाप्रसाद को सुपुर्द करना बताया व जवाब पेश किया व दस्तावेज पेश किये। तत्पश्चात् बिना किसी ठोस आधारों के अपीलांट का प्राधिकार पत्र भी निरस्त करने का आदेश दिनांक 25.09.2019 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

4(1)—अधिनस्थ रसद अधिकारी का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत व पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य सामग्री उपलब्ध हुए बिना ही पारित किया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है व अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है।

4(2)—अपीलांट के विरूद्ध प्रथम आक्षेप यह रहा कि अपीलांट समय पर दुकान नहीं खोलता है लेकिन इस आक्षेप के संबंध में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट समय पर दुकान नहीं खोल रहा हो जबकि अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन कर दिया कि निरीक्षण के दिन भी सुबह से सांय तक दुकान खुली थी व उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण की गयी व उसी दिन केरोसीन का टेंकर आने पर उसको खाली करवाया गया तथा इस बाबत उपभोक्ताओं के बयान कलमबद्ध करवाने को भी अपीलांट तैयार था व लिखित में निवेदन भी किया मगर इस ओर कोइ ध्यान दिये बिना व इस संबंध में स्वच्छ जांच किये बिना व स्वतंत्र उपभोक्ताओं के व केरोसीन की गाडी खाली करने वाले वाहन चालक आदि के बयान लिये बिना सरसरी तौर पर ही प्राधिकार पत्र खारिज करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

4(3)—अपीलांट के विरूद्ध दुसरा आक्षेप यह रहा कि दुकान पर सुचना पट्ट पर कोई सूची बोर्ड का अंकन नहीं है जबकि दुकान के बाहर हमेशा सूचना पट्ट व सूची बोर्ड का अंकन स्थाई रूप से साफ अक्षरों में हमेशा रहा है कभी भी किसी प्रकार की शिकायत पूर्व में किसी उपभोक्ता की नहीं रही है तथा इस संबंध में खुलासा जांच किये बिना ही इसे अनियमितता मानने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

4(4)—अपीलांट के विरूद्ध तीसरा आक्षेप यह रहा है कि पोश मशीन से पर्ची नहीं देता था, जबकि यह आक्षेप भी सरासर गलत है किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की ऐसी शिकायत नहीं रहीं कि उसे पोश मशीन से पर्ची नहीं मिली हो और इस संबंध में अपीलांट ने स्पष्टीकरण व जवाब के जरिये यह निवेदन किया कि उपभोक्ता से जांच की जा सकती है व स्वतंत्र गवाह व उपभोक्ता के बयान लिये जा सकते है ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जायेगी मगर ऐसी कोई जांच किये बिना सरसरी तौर पर कुछ स्वार्थी लोगो द्वारा की गयी झुठी शिकायत व मिथ्या जांच रिपोर्ट को आधार मानकर ऐसा कठोरतम आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा सदोष लाभ प्राप्त करना व सरकार या उपभोक्ताओं को सदोष हानि पहुंचाने या किसी प्रकार की कोई गंभीर अनियमितता करने आदि के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पत्रावली पर उपलब्ध न होते हुए भी अपीलांट के विरूद्ध आदेश जैर अपील कतई गलत पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

4(5)—अपीलांट के विरूद्ध चौथा आक्षेप यह था कि कथित गणपतलाल गांव का निवासी न होकर जोधपुर का निवासी है इस संबंध में अपीलांट का निवेदन था व है कि राशनकार्ड धारक गणपतलाल गांव मांझी का निवासी है जिसका राशन कार्ड में इन्द्राज है व राशन कार्ड की प्रति साथ पेश की गयी एंव पोश मशीन संख्या 30074 द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया गया तथा गणपतलाल ने उसी दिन गेहूं प्राप्त किये जो पोश मशीन से ऑन लाईन भी चेक किये जा सकते है इसके बावजूद भी उक्त तथ्य को जांच अधिकारी ने नजर अन्दाज करते हुए बिना किसी आधार के गणपतलाल को जोधपुर निवासी बताकर गलत आक्षेप के आधार पर दोषी ठहराया व उसे उचित मानकर प्राधिकार पत्र गलत रूप से खारिज किया जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है, जो आदेश हस्तक्षेप योग्य है।

4(6)—अपीलांट के पास गांव मांझी की दोनो दुकानो की राशन सामग्री वितरण करने का अधिकार दिया गया था व अपीलांट पर कथित करोसीन विक्रय, स्टॉक में अन्तर का जो आक्षेप लगाया है उस संबंध में निवेदन है कि अपीलांट ने दो पोश मशीनों से सामग्री वितरण की थी व दोनो मशीनों से वितरण सामग्री व स्टॉक व चार्ज के समय दिया गया स्टॉक आदि का मिलान किये बिना गलत ढंग से आक्षेप लगाया गया है जबकि दोनो मशीनों व स्टॉक व चार्ज दिये गये माल के स्टॉक आदि का मिलान किया जाने पर व इस संबंध में नियमानुसार जांच की जाती तो सम्पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती व किसी प्रकार का अन्तर नहीं मिलता, लेकिन जानबूझकर ऐसी कोई वास्तविक जांच किये बिना सरसरी तौर पर ही मिथ्या रिपोर्ट कर दी व उसको आधार मानकर अपीलांट को पुरा सुने बिना आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है।

4(7)—जांच अधिकारी द्वारा पूर्व में शिकायत मिलने पर उक्त शिकायत बाबत मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिस पर मौके पर उपस्थित गवाह रामनिवास, पुनाराम, हरीश, कालूराम, पूर्णाराम वगैरा अनेक व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होने पूछताछ में बताया कि राशन डिलर नियमित रूप से वितरण करता है उपभोक्ता सप्ताह के दौरान वितरण करता है राजनेतिक कारणों से झुठा निलम्बित किया है हर माह उपभोक्ता पखवाडे में नियमित रूप से वितरण करता था। इस प्रकार मौका रिपोर्ट से भी अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित नहीं पाई गयी मगर इस रिपोर्ट को जानबूझ कर छुपाया गया है व निर्णय में इसका कोई विवेचन, विश्लेषण, नहीं मानने का कारण दर्शित किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

4(8)—अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश– 1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4(9)—अपीलांट के विरूद्ध गांव के किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तों अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है और कथित शिकायत व्यक्ति विशेष जो अपीलांट से राजनैतिक रंजिश रखते है उनके द्वारा की गयी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested

जो भी जांच रिपोर्टो में झुठी पायी गयी है व अपीलांट को निर्दोष पाया गया है इसके बावजूद सरसरी तौर पर ही जल्दबाजी में आनन फानन में आदेश जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

4(10)—उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट निर्दोष है उसके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद मे अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता/सरपंच या अन्य नागरिक की गबन बाबत नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनों की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जा रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा है सक्षम अधिकारी की जांचों में भी कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है इस बाबत स्पष्टीकरण खुलासा उपर दिया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुए भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

4(11)—अपीलांट बेरोजगार है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपीलांट पर ही है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है इसके बावजूद इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यकता होने पर अण्डरटेकिंग/ शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है और यही विधि की मंशा है मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारो पर एक ही अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित/परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार होने का कथन करते हुए अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 17/19 राजस्थान सरकार बनाम रिछपालसिंह में पारित आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 25.09.2019 को अपास्त/संशोधित/निरस्त किया जावे व अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किया जावे। अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान करावें।

5. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री बाबुलाल, भंवरलाल आदि की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा दिनांक 01.03.2019 को रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2019 के पेश की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट की एफपीएस उपभोक्ता सप्ताह के दौरान बंद पायी गई एवं दुकान के सूचना पट्ट पर बंद का कोई कारण अंकित नहीं था। नियमानुसार उ.मू. दुकानदार को उपभोक्ता सप्ताह के दौरान सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दुकान खुली रखना अनिवार्य है, यदि किसी भी कारणवशः दुकान बंद रहती है, तो उसका कारण सूचना पट्ट पर अंकन करना अनिवार्य है। उक्त उचित मूल्य दुकान बंद होने की फोटो (छायाप्रति) मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लेकर रिपोर्ट के साथ जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत की गई जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये हुए है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा दुकान अक्सर बंद होना एवं पोस मशीन से निकलने वाली राशन सामग्री की पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं देना बताय। राशनकार्ड संख्या 008333100819 के बारे में पुछताछ करने पर बताया कि राशनकार्ड श्री गणपतलाल के नाम है, जो परिवार ... जोधपुर रहता है। उक्त राशन कार्ड की डिटेल ऑनलाईन निकालने पर पाया कि राशन कार्ड ... प्रति माह राशन सामग्री का उठाव हो रहा है, उक्त तथ्यों की ताईद ... अनुसार रिपोर्ट ... फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested

5(1)—प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना स्टॉक हस्तान्तरण रिपो... दिनांक 29.03.2019 के अनुसार अपीलान्ट मांझी में पोस मशीन नम्बर 30074 में माह नवम्बर 2017 से फरवरी 2019 तक 6060 लीटर केरोसीन आपूर्ति की गई जिसमे से अपीलान्ट द्वारा निलम्बन दिनांक 26.03.2019 तक 7219.6

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

लीटर केरोसीन वितरण करना पाया। इस प्रकार अपीलान्ट को आवंटित केरोसीन से 1159.6 लीटर केरोसीन का ज्यादा वितरण किया है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन से अधिक केरोसीन का वितरण फर्जी ट्रान्जेक्शन से किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास इसी पंचायत की अन्य दुकान पोश कोड नम्बर 22745 भी दिनांक 28.03.2017 से दिसम्बर 2017 तक रही। उक्त अवधि में 7900 लीटर केरोसीन की आपूर्ति की गई ओर अपीलान्ट द्वारा उक्त अवधि में 6046.5 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.12.2017 को 4.5 लीटर केरोसीन अस्थाई डीलर को स्टॉक में दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पास 1849 लीटर केरोसीन कम पाया जो कि अपीलान्ट द्वारा गबन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोपों के संबंध में खण्डन स्वरूप कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतया सारहीन एवं निराधार होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध बाबुलाल, भंवरलाल वगैरह की शिकायत पर श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट उ.मू.दू. रिछपालसिंह की एफपीएस उपभोक्ता सप्ताह के दौरान बंद पायी गई एवं दुकान के सूचना पट्ट पर बंद का कोई कारण अंकित नहीं था। उक्त उचित मूल्य दुकान बंद होने की फोटो के संबंध में छायाप्रति, जो प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा दुकान अक्सर बंद होना एवं पोस मशीन से निकलने वाली राशन सामग्री की पर्ची उपभोक्तो को नहीं देना बताया। राशनकार्ड संख्या 008333100819 के बारे में पुछताछ करने पर बताया कि राशनकार्ड श्री गणपतलाल के नाम है, जो परिवार सहित जोधपुर रहता है। उक्त राशन कार्ड की डिटेल ऑनलाईन निकालने पर पाया कि राशन कार्ड से प्रति माह राशन सामग्री का उठाव हो रहा है।

6(1)—प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना स्टॉक हस्तान्तरण रिपोर्ट दिनांक 29.03.2019 के अनुसार अपीलान्ट मांझी में पोस मशीन नम्बर 30074 में माह नवम्बर 2017 से फरवरी 2019 तक 6060 लीटर केरोसीन आपूर्ति की गई जिसमे से अपीलान्ट द्वारा निलम्बन दिनांक 26.03.2019 तक 7219.6 लीटर केरोसीन वितरण करना पाया। इस प्रकार अपीलान्ट को आवंटित केरोसीन से 1159.6 लीटर केरोसीन का ज्यादा वितरण किया है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन से अधिक केरोसीन का वितरण फर्जी ट्रान्जेक्शन से किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास इसी पंचायत की अन्य दुकान पोश कोड नम्बर 22745 भी दिनांक 28.03.2017 से दिसम्बर 2017 तक रही। उक्त अवधि में 7900 लीटर केरोसीन की आपूर्ति की गई ओर अपीलान्ट द्वारा उक्त अवधि में 6046.5 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.12.2017 को 4.5 लीटर केरोसीन अस्थाई डीलर को स्टॉक में दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पास 1849 लीटर केरोसीन कम पाया जो कि अपीलान्ट द्वारा गबन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोपों के खण्डन में कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिनसे कि अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोपों को गलत सिद्ध किया जा सके। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील में अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर विस्तृत विवेचन करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो सही प्रतीत होने से उक्त निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

8. निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)